औरतों का तरीक़ा ए नमाज़ क्या मर्दों से अलग है ?

77 0

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम!

अल्लाह के नाम से जो बडा मेहरबान बहुत रहम वाला है।

सब तारीफे़ अल्लाह तआला के लिए है जो सारे जहानो का पालनहार है। हम उसी की तारीफ़ करते है। उसी का शुक्र अदा करते है और उसी से मदद व माफ़ी चाहते है। अल्लाह की ला तादाद सलामती, रहमतें, व बरकतें, नाज़िल हों मुहम्मद सल्ल. पर, आप की आल व औलाद और असहाब रज़ि. पर।

व बअद।

औरते किस तरह नमाज़ पढ़ें ? यानि औरतों का नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा कैसा हो ? औरते भी मर्दो ही की तरह नमाज़ पढ़े या उन से अलग तरीक़े से ? यह मसअला हर किसी के लिए इसलिए गोर तलब है क्यों कि हिन्द व पाक और इनके आस–पास की ज़्यादातर औरते मर्दो से अलग तरीक़े से नमाज़ पढ़ती है। तो क्या उनका इस तरह मर्दो से अलग तरीक़े से नमाज़ पढ़ना सही है ? जिस तरह वो नमाज़ पढ़ती है, उसका हुक्म उन्हे अल्लाह ने या उसके रसूल सल्ल. ने दिया है ? क्या ऐसी कोई सही हदीस है जिससे यह साबित होता हो कि मर्द इस तरह नमाज़ पढ़े और औरतें मर्दो के तरीक़े से अलग दुसरे तरीक़े से ? या ऐसी कोई सही हदीस है जिसकी वजह से औरतों के हाथ बांधने, हाथ उठाने, रूकुअ व सज्दे करने की कैफ़ियत मर्दो से अलग मालूम होती हो ? अगर नही तो क्या मर्दो व औरतों का तरीका ए नमाज़ एक ही है? आइये हम यही सब जानने –समझने की कोशिश करते है ?

औरते मर्दो से अलग तरीक़े से नमाज़ पढ़े

के दलाइल :– व उनका जवाब

1. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. से पूछा गया कि औरतें नबी सल्ल. के जमाने मे किस तरह नमाज़ पढ़ती थी ? तो इब्ने उमर रज़ि. ने फ़रमाया ''पहले चार जानू होकर बैठती थी। फ़िर उन्हे हुक्म दिया गया कि खूब सिमट कर नमाज़ अदा करे।'' (जामेअ अल मसानिद–जिल्द 1, सफ़ा 200) जवाब:– चार जानू हो कर बैठने और फ़िर खूब सिमट कर नमाज़ अदा करने से क्या मुराद है ? कब सिमटना है और किस तरह सिमटना है ? यह भी इस रिवायत से वाज़ेह नही होता। दूसरे यह कि

इस रिवायत का जो हवाला दिया जाता है, यह वहां या उसके आस–पास कहीं नही है। जब तक रिवायत किसी किताब मे मिलेगी नही यह भी पता नही चलेगा कि यह कैसी रिवायत है? इसकी सनदी हैसियत क्या है ? सही है ज़ईफ़ है या कि मनगढ़त है ? इसलिए ऐसी ला पता रिवायत को हदीस का नाम नही दिया जा सकता। उसका दलील बनना तो दूर की बात है । क्यों कि कोई भी रिवायत असनादी हैसियत के बग़ैर किसी काम की नही होती।

(2) वाइल बिन हुजर रज़ि. बयान करते है कि मुझे अल्लाह के रसूल सल्ल. ने नमाज़ का तरीक़ा सिखाया तो फ़रमाया "ऐ वाइल ! जब तुम नमाज़ शुरू करो तो अपने हाथ कानों तक उठाओ और औरतें अपने हाथ छातियों तक उठाए।" (मजमअ अल ज़वाइद–जिल्द 2 सफ़ा–103)

जवाब :– बेशक! यह रिवायत इस जगह दर्ज है। लकिन साथ ही यह अल्फ़ाज़ भी है कि " इस रिवायत की सनद मे एक राविया उम्म यहया बिन्त अब्दुल जब्बार है " जिन्हे मै नही जानता ।" यानि यह राविया मजहूल है और जिस सनद मे एक रावी भी मजहूल हो, मुहद्दिसीन के नज़दीक वह रिवायत ना काबिले हुज्जत होती है। इसके जानते ऐसी रिवायत को हदीसे रसूल सल्ल. कहना और उससे कोई मसअला साबित करना किसी तरह भी जाइज़ नही।

3. ज़ैद बिन हबीब रह. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. दो औरतों के पास से गुज़रे जो नमाज़ पढ़ रही थी। आप सल्ल. ने उन्हे देख कर फ़रमाया " जब तुम सज्दा करो तो अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को ज़मीन मे चिमटा दो। इसलिए कि उनमे औरत मर्द की तरह नही है।" (बैहक़ी–जिल्द 2 सफ़ा–223)

जवाब :– ज़ैद बिन हबीब रह. सहाबी नही ताबई है। जिसकी वजह से यह रिवायत मुरसल ठहरी। मुहद्दिसीन के नज़दीक मुरसल रिवायत ना क़ाबिले हुज्जत होती है। इसके अलावा इस रिवायत का एक और रावी सालिम है जो मुहद्दिसीन के नज़दीक मतरूक है। इसलिए खुद इमाम बैहक़ी रह. ने इस रिवायत को मुन्क़तेअ कह कर ही अपनी किताब मे नक़्ल किया है। इस तरह यह रिवायत भी सही नही बल्कि ज़ईफ़ है और दलील बनने के लायक़ नही है।

4. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि. ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने इर्शाद फ़रमाया " दौराने नमाज़ जब औरत बैठे तो अपनी

एक रान को दूसरी रान पर रखे और जब सज्दे मे जाए तो अपने पेट को अपनी दोनों रानों से मिलाले । इस तरह कि उससे ज़्यादा सतर हो सके । अल्लाह तआला उसकी तरफ़ देखते है और फरिश्तों से फ़रमाते है कि तुम गवाह रहो, मैने इस औरत की बख्शीश कर दी।''(बैहक़ी –जिल्द 2 सफ़ा–314, 15)

जवाब :– यह रिवायत नक़ल करने के बाद खुद इमाम बैहक़ी रह. लिखते है ''यह रिवायत सख़्त ज़ईफ़ है। इस जैसी रिवायत को दलील नही बनाया जा सकता । इसका एक रावी अबु मुतीअ अल हकम बिन अब्दुल्लाह है जो सख्त जईफ़ रावी है। इमाम यहया बिन मौईन ने भी इसे ज़ईफ़ क़रार दिया है।

5. अबु हुरेरा रज़ि. रिवायत करते है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया (अगर नमाज़ के दौरान कोई ऐसा मामला पेश आ जाए जिससे नमाज़ मे हरज आता हो तो ''मर्दो के लिए यह है कि वह तस्बीह (सुब्हानल्लाह) कहें और औरतें सिर्फ़ ताली बजाएं।'' (मुस्लिम–954 ,बुख़ारी–1203, अबु दाऊद–939) जवाब:– बेशक! यह हदीस सही है। इसलिए इसमे मर्द व औरत के लिए दौराने नमाज़ जो फ़र्क़ बतलाया गया है उस पर अमल करना जरूरी है। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब औरतें मस्जिद मे मर्दो के साथ जमाअत से नमाज़ अदा करें। जैसा कि नबी सल्ल. के वक़्त मे औरतें मस्जिदे नबवी मे जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ा करती थी। मर्दो की सफ़े आगे होती और औरतों की पीछे। इस हदीस मे आप सल्ल. ने हुक्म दिया है कि अगर इमाम भूल जाए तो मर्द सुब्हानल्लाह, कहें और अगर मर्दो मे से कोई न बोले तो औरत ताली बजाए। लेकिन अफ़सोस ! इस हदीस को औरत व मर्द के तरीक़े ए नमाज़ के फ़र्क पर दलील बनाने वाले लोग ही इस हदीस पर अमल नही करते । इसलिए कि अगर वह इस हदीस को मानते तो औरतो को भी मस्जिद मे आकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने देते, उन्हे मस्जिदों से रोकते नही।

6 इमाम बुख़ारी रह. के उस्ताद अबु बकर बिन अबि शैबा रह. फ़रमाते है ''मैने अता बिन अबि रबाह रह. से सुना जब उनसे औरत के बारे मे पूछा गया कि वह नमाज़ मे अपने हाथ कैसे उठाएं ? तो उन्होने जवाब दिया 'छातियों तक । साथ ही फ़रमाया –औरत नमाज़ मे अपने हाथों को इस तरह न उठाए जैसे मर्द उठाते है। उन्होने इस बात को जब इशारे से बताया तो अपने हाथों को काफ़ी पस्त किया, उन्हे अच्छी तरह

मिलाया और कहा कि नमाज़ मे औरत का तरीक़ा मर्द की तरह नही।''
जवाब :– यह दो अलग –अलग असर है। जिन्हे एक बनाकर अपनी बात की दलील बनाया जाता है। जब कि दोनों की सनदें अलग है और ये दोनों कौ़ल सनदन ज़ईफ़ भी है। पहले असर मे इब्ने अबि शैबा कहते है कि हमे हशीम ने बयान किया। हशीम ने कहा – हमे हमारे एक उस्ताद ने ख़बर दी और उन उस्ताद ने कहा कि मैने अता रह. से सुना। साबित हुआ कि इब्ने अबि शैबा ने यह बात अता रह. से नही सुनी जब कि रिवायत मे है कि मैने अता से सुना। अब बीच मे यह दो उस्ताद कौन है? कैसे है? जब तक यह मालूम न हो यह कौ़ल ज़ईफ़ ही कहलाएगा। दूसरे असर मे इब्ने जरीज है जिसके बारे मे यहया बिन सईद कहते है कि उसकी अता रह. से बयान कर्दा तमाम रिवायतें ज़ईफ़ है। (तहज़ीब अल कमाल लिल मुज़ी) इसके अलावा यह कि मुसनफ़ इब्ने अबि शैबा के इसी सफे़ पर ये दो असर भी नक़ल है– (1) अब्दे रब्बा बिन जै़तून कहते है ''मैने उमदर्दा रजि. को देखा कि जब वह नमाज़ शुरू करतीं तो अपनी हथेलियां अपने कंधों तक उठाती और जब इमाम (रूकुअ से उठते हुए) 'समीअल्ला हुलिमन हम्दा' कहता तो अपने हाथ उठातीं(यानि रफ़यदैन करतीं) और कहतीं 'अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द।
औज़ाई रह. रिवायत करते हैं कि ''इमाम ज़हरी ने कहा ''औरत अपने हाथ अपने कंधों तक उठाएं।'' इस के अलावा ''सही बुख़ारी हदीस–826 मे उमदर्दा रज़ि. का यह अमल भी मौजूद है कि ''वह नमाज़ मे मर्दो ही की तरह बैठती थी।''
7. अली रज़ि. से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ़रमाया ''जब औरत सज्दा करे तो कुल्हों के बल बैठे और अपनी रानों को मिलाले।'' (बैहक़ी–जिल्द 2 सफ़ा–222)
जवाब :– यह असर भी सनद के एतेबार से ज़ईफ़ है और हुज्जत के क़ाबिल नही है क्यों कि इसे अली रज़ि. से रिवायत करने वाला हारिस बिन अब्दुल्लाह अल अऊर है जिसके बारे मे इब्ने हजर रह. ने कहा कि इस पर राफजी़ होने का इल्ज़ाम है और बअज़ मुहद्दिसीन ने इसे झूटा कहा है। (तक़रीब अल तहज़ीब)
8. इब्ने अब्बाास रज़ि. से औरत की नमाज़ के बारे मे पूछा गया तो उन्होने फ़रमाया कि ''औरत सब अअजा़ को मिलाले और कुल्हों के बल बैठे।'' जवाबः– हालां कि इब्ने अब्बास रज़ि. का यह असर बिना हवाले के बयान किया जाता है। जब कि यह मुसनफ़ इब्ने अबि शैबा

जिल्द 1, सफ़ा –270 और मुसनफ़ अब्दुर्रज़ाक़ जिल्द 3 सफ़ा–137, पर मौजूद है। मगर इसमे किस कैफ़ियत का बयान है ? वाज़ेह नही। औरत कब तो अअज़ा को मिलाए और कब कूल्हों के बल बैठे ? इस बात का जिक्र नही हैं। इसका एक रावी बकीर बिन अब्दुल्लाह बिन अल अशज है। यह तक़रीब अल तहजीब के पांचवे तबक़े का रावी है। इनका किसी सहाबी से सुनना साबित नही है। इस तरह यह रिवायत भी ज़ईफ़ ठहरी। दुसरी तरफ़ अल्लाह के रसूल सल्ल. का इर्शाद है– ''सज्दे मे एतेदाल इख़्तियार करो। तुम मे से कोई अपने बाजु (ज़मीन पर) इस तरह न बिछाए जैसे कुत्ता बिछाता है।'' (बुख़ारी–822, और मुस्लिम–1102) आप सल्ल. का यह इर्शाद मर्द व औरत दोनों के लिए है। अबु हमीद सअदी रज़ि. की बयान कर्दा हदीस मे आप सल्ल. के सज्दे की कैफ़ीयत इसी तरह बयान हुई है। ''आप सल्ल. ने सज्दा किया और अपने हाथ (ज़मीन पर) इस तरह रखे किवह न बिछे हुए थे और न पहलुओं के साथ मिले हुए थे।''(बुख़ारी–822)

औरत व मर्द के तरीक़ा ए नमाज़ मे फ़र्क़ नही

जो यह कहते है कि जो तरीक़ा नमाज़ पढ़ने का मर्दो का है वही औरतों का भी है। दोनो के तरीका ए नमाज़ मे कोइ फ़र्क नही। सिवाए उन बातों के जिनकी सराहत अल्लाह के रसूल सल्ल. ने करदी है।–जैसे–

1. औरतों के लिए हुक्म है कि वो बग़ैर ओढ़नी के नमाज़ न पढ़े ।
2. मस्जिद मे जाकर नमाज़ पढ़ना औरतों पर फर्ज़ नही ।
3. अगर औरत मस्जिद मे बा जमाअत नमाज़ मे शामिल हो और इमाम भूल जाए तो वह मर्दो की तरह सुब्हानल्लाह कहने के बदले सिर्फ़ ताली बजाए। रहा यह मसअला कि नमाज़ मे औरते हाथ कहां बांधे ? और कहां तक उठाएं? क़ायदा व क़याम उनका किस तरह हो ? और वोह सज्दा किस तरह करे? तो इस बारे मे उन लोगों का यह कहना है जो तरीक़ा मर्दो के लिए है, वही औरतो का भी है। इसलिए कि इस बारे मे अल्लाह के रसूल सल्ल., का हुक्म दोनों के लिए यक्सा है । वह यह कि ''तुम नमाज़ उस तरह पढ़ो। जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते तुमने देखा है।(बुख़ारी–631) इस वाज़ेह हुक्मे रसूल सल्ल. के होते हुए मर्द व औरत की नमाज़ के तरीक़े मे फ़र्क करना और यह कहना कि

1. मर्द तक्बीरे तहरीमा के रफ़ायदैन मे कानों तक हाथ उठाए और औरत कंधो या छातियों तक।
2. मर्द नाफ़ के नीचे हाथ बांधे और औरत सीने पर । इस तरह कि

दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पर आ जाए।
3. मर्द सज्दे मे अपने बाज़ू न तो ज़मीन पर रखे और न ज़मीन से पहलुओं के साथ मिलाए। मगर औरत सिमट कर और ज़मीन से इस तरह चिमट कर सज्दा करे कि पेट रानों से बिल्कुल मिल जाए। साथ ही पांव को खड़ा करने की बजाए उन्हे दाई तरफ़ निकाल कर बिछा दे और कुहनियों समेत पूरी बांहे भी ज़मीन पर रखे।
4. औरत–पहले सज्दे से उठ कर बाएं कूल्हे को (ज़मीन पर) रखे और दोनों पांव दाहिनी तरफ़ निकाल दे और पिंडली को बाई पिडंली पर रखे।
5. क़ायदे मे उसी तरह बैठे जैसे सज्दों के बीच मे बैठती है।
6. औरते रूकुअ मे इतना थोड़ा झुकें कि दोनों हाथ घुटनों तक पहुच जाएं । मर्दो की तरह ज़्यादा न झुके।
7. औरतें (रूकुअ) मे घुटनों पर हाथ की उंगलियां मिला कर रखे। मर्दो की तरह कुशादा करके धुटनों को न पकड़े। बल्कि धुटनों को (ज़रा आगे को) झुकालें। अपनी कोहनियां भी पहलू से मिला कर रखे।
8. औरते रूकुअ मे दोनों पावों के टख़ने एक दूसरे से मिला कर रखे।
यह आठ फर्क़ जो औरतों के तरीक़ ए नमाज़ मे बताये जाते है, यह किसी हदीस से साबित नही है। उल्टा आप सल्ल. के तरीक़ ए नमाज़ के खिलाफ़ है। जब अल्लाह के रसूल सल्ल. ने मर्द व औरत की नमाज़ के तरीक़े मे फर्क़ नही किया तो बाद मे किसे यह हक़ पहुचता है कि वह इसमे फर्क़ करे ।
हमारी तो मर्द औरत की नमाज़ मे फर्क़ करने वालों से इतनी से गुज़ारिश है कि इन फ़र्क़ो के सुबूत मे वोह कोई सही हदीस पेश करें। या फ़िर यह फ़र्क करना छोड़ दे और अल्लाह की बन्दीयों को भी उसी तरह नमाज़ पढ़ने दे जिस तरह आप सल्ल. पढ़ा करते थे।
अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम सभी (मर्दो व औरतों) को आप सल्ल. की सुन्नत के मुताबिक़ अमल करने और नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता करे । आमीन।

आपका दीनी भाई

मुहम्मद सईद
9214836639
9887239649
दिनांक 26/8/2012

माखूज़
क्या औरतों का तरीक़ा नमाज़ मर्दो से अलग है ?